न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 736 दिनांक 05/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.राणा 2.बाबू पि. खेता 3.मोजूदेवी पत्नि खेता 4.वगता पुत्र हरचन्द 5.जसाराम 6.नरेशकुमार 7.चम्पालाल 8.कैलाश पि.रूगाराम 9.कमला पत्नि रूगाराम, जातियान दर्जी, निवासी भोमासर (तारातरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.शंकरा 2.दमा पि.भगवाना 3.सोना पुत्र भींया 4.हेमा पुत्र कुम्भा, जातियान दर्जी 5.रामा पुत्र कुम्भा 6.केसरा पुत्र मूला 7.पोलाराम 8.हराराम पुत्र खेताराम 9.सवाई पुत्र हाजा 10.पुरखा 11.हुकमा पि.उगरा 12.मदा पुत्र रूखमणा, जातियान जाट, निवासी निवासी भोमासर (तारातरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 134/2021 दिनांक : **04.04.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा भोमासर के खेत खसरा सं. 1086 रकबा 21.15 बीघा, खसरा सं. 1462/1082 रकबा 11.09 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO)

क्रमांक/भू.अ./2022/ 737 to 740 दिनांक 05/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण राणा वगैरा
3. विप्रार्थीगण शंकरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 16:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन